


नम्बर व  
अहकाम  
हुकम की त  
में जारी हुए

### हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत में आपसे  
आपके द्वारा कम्प नगला वीदीगठा पर फेष हुई  
दावा वादीगठा स्वीकार किया जाकर विवादित  
आराजी की पत्तर गढी क्रिमे गने के आदेश दिने  
गते है प्री. को रूमार् निषेधाज्ञा से पाकन्द  
किया जाता है कि वे वादीगठा के कच्चे भाग  
की आराजी अथवा इसके किसी भी हिस्से पर किसी  
भी प्रकार की मजदूरग मदाखलत बेजा न करें।  
तहसीलदार वादी को इस आशय भा परबान  
जारी किया जावे कि वादीगठा की आराजी की  
पत्तर गढी पर पालना से इस न्यायालय को  
अवगत करें। उम्तागुछार पर्या क्रिमी जारी है।  
पत्रावली वाड लम्बीय दाखिल नफर कीजवे।

  
उपखण्डाधिकारी  
वादी (धोलपुर) राज